FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अदालत..
....मुकाम..........................
किस्म मुकदमा.......136...............................बनाम...............................
....नं. ....76.........सन्.....2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 11/8/25 को पेश हो। 8/8/25	
11/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम जालखेड़ा के खाता संख्या 63 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 786 दिनांक 28.03.2025व नामा0 संख्या 789 दिनांक 25.04.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम रोहित कुमार खरनीवाल पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरणों द्वारा रोहित कुमार खरनीवाल पुत्र महेन्द्र कुमार की 2 बार प्रविष्टि दर्ज हुई। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202503123103831 दिनांक 28.03.2025 व 202503123105084 दिनांक 25.04.2025 में क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई हैं जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ग्राम जालखेड़ा के खाता संख्या 63 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 786 दिनांक 28.03.2025व नामा0 संख्या 789 दिनांक 25.04.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम रोहित कुमार खरनीवाल पुत्र महेन्द्र कुमार दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरणों द्वारा रोहित कुमार खरनीवाल पुत्र महेन्द्र कुमार की 2 बार प्रविष्टि दर्ज हुई। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्यूटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम जालखेड़ा के खाता संख्या 63 में रोहित कुमार खरनीवाल पुत्र महेन्द्र कुमार की दोहरी प्रविष्टि को एक दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 11/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 11/8/25	